

## पटना विश्वविद्यालय अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुपालन में इस कार्यालय के अधिसूचना ज्ञापांक 169/आर दिनांक 06.11.2006 द्वारा कुलसचिव को सूचना पदाधिकारी एवं उप-कुलसचिव को सहायक सूचना पदाधिकारी नामित किया जा चुका है। एतद् द्वारा सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, सभी स्तानकोत्तर विभागों के अध्यक्षों, सभी संकायाध्यक्षों एवं सभी संस्थान के निदेशकों को उनके क्षेत्राधिकार कार्यालयों हेतु सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

कुलपति अपीलीय प्राधिकार में होंगे।

कुलपति के आदेश से,

ह0/

(विभाष कुमार यादव)

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक 07.12.2006

ज्ञाप संख्या-एसी/स्था./1952

प्रतिलिपि:- (1) सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, प0 वि0 वि0 (2) सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, प0 वि0 वि0 (3) सभी संस्थानों के निदेशक, प0 वि0 वि0 (4) सभी पदाधिकारी, प0 वि0 वि0 (5) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, प0 वि0 वि0 (6) सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

(विभाष कुमार यादव)

कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना।